60

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

साठवां प्रतिवेदन

आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध

(स्वीकार किये गये)

23/03/2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022 / चैत्र , 1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना (iii)

प्राक्कथन (iv)

प्रतिवेदन 1-2

परिशिष्ट-एक. आश्वासनों को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों का सारांश दर्शाने वाला विवरण जिन पर समिति द्वारा 02 दिसम्बर, 2021 को समिति द्वारा विचार किया गया । 3-4

परिशिष्ट- दो से ग्यारह

आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किये गये)

दो. "कोल इंडिया लिमिटेड के अस्पताल और औषधालय" के संबंध में दिनांक 14.12.2011 का तारांकित प्रश्न सं. 298 5-8

तीन. ''अतः राज्य स्वर्ण परिवहन के लिए ई-वे बिल'' के संबंध में दिनांक 08.03.2021 का अतारांकित प्रश्न सं. 2248 9-10

चार.* ''राष्ट्रीय ब्राडबैंड प्लान'' के संबंध में दिनांक 28.03.2012 का अतारांकित प्रश्न सं. 2396 11-16

पांच.* ''जीएम प्रौद्योगिकी करार दिशानिर्देशों हेतु लाईसेंसिंग और फॉर्मेट'' के संबंध में दिनांक 19.07.2016 का अतारांकित प्रश्न सं. 402 17-18

छह. ''रेल डिब्डा कारखाना '' के संबंध में दिनांक 10.05.2012 का अतारांकित प्रश्न सं. 5681 19-22

---

*आश्वासनों संबंधी कार्यान्वयन प्रतिवेदन 01.12.2021 को सभा पटल पर रखा गया।

सात. ''सिग्नलिंग प्रणाली का उन्नयन'' के संबंध में दिनांक 27.11.2019 का अतारांकित प्रश्न सं. 133 (श्री धर्मबीर सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न) 23-27

आठ. ''करेन्सी प्रारूप में नवाचार'' के संबंध में दिनांक 08.03.2021 का अतारांकित प्रश्न सं. 2170 28-29

नौ.''बिटकॉइन के कारोबार पर प्रतिबंध '' के संबंध में दिनांक 08.03.2021 का अतारांकित प्रश्न सं. 2222 30-31

दस. समिति की 02 दिसंबर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश। 32-35

ग्यारह. समिति की 08 मार्च, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश। 36-37

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)*

की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पांडेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग़ सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. श्री टी.एस. रंगराजन - निदेशक
3. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव
4. श्री संजीव कुमार गुलाटी - समिति अधिकारी

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2021 से किया गया है, देखिए दिनांक 18 अक्तूबर, 2021 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 3202.

प्राक्कथन

मैं, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का यह साठवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021) ने 02 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के अलावा ज्ञापन संख्या 02 से 11 पर विचार किया जिनमें 10 लंबित आश्वासनों को छोड़ने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोध शामिल किए गए हैं और 08 आश्वासनों को छोड़ने का निर्णय लिया।

3. समिति (2021-2022) ने अपनी 08 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति की उपर्युक्त बैठकों के कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं ।

नई दिल्ली;
22 मार्च, 2022
01 चैत्र , 1944(शक)

राजेन्द्र अग्रवाल
सभापति
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन

सभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए अथवा विधेयकों, संकल्पों, प्रस्तावों आदि पर चर्चा के दौरान मंत्री मामले पर विचार करने, कार्यवाही करने अथवा बाद में किसी तिथि को सभा में जानकारी देने का आश्वासन एवं वचन देते हैं अथवा वायदा करते हैं। किसी आश्वासन को संबंधित मंत्रालय द्वारा तीन माह की अवधि में कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है । यदि मंत्रालय किसी भी आधार पर आश्वासन को कार्यान्वित करने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति से उस आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध करना चाहिए और ऐसे अनुरोधों पर समिति उनके गुण- अवगुण के आधार पर विचार करती है और आश्वासन छोड़ने अथवा न छोड़ने का निर्णय लेती है।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) ने 02 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में 10 लंबित आश्वासनों को छोड़ने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों वाले 10 ज्ञापनों (परिशिष्ट-एक) पर विचार किया ।

3. मंत्रालयों/विभागों के अनुरोधों पर विचार करने के पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 08 आश्वासनों को छोड़ने का निर्णय लिया:-

क्रम सं.	ता.प्र.सं../अता.प्र.सं. एवं तिथि	मंत्रालय	विषय
1.	ता.प्र.सं. 298 दिनांक 14.12.2011	कोयला	कोल इंडिया लिमिटेड के अस्पताल और औषधालय (परिशिष्ट- दो)
2.	अता.प्र.सं. 2248 दिनांक 08.03.2021	वित्त (राजस्व विभाग)	अंतः राज्य स्वर्ण परिवहन के लिए ई-वे बिल (परिशिष्ट- तीन)
3. *	अता.प्र.सं. 2396 दिनांक 28.03.2012	संचार (दूरसंचार विभाग)	राष्ट्रीय ब्राडबैंड प्लान (परिशिष्ट-चार)
4. *	अता.प्र.सं. 402 दिनांक 19.07.2016	कृषि और कृषक कल्याण (कृषि और कृषक कल्याण विभाग)	जीएम प्रौद्योगिकी करार दिशा-निर्देशों हेतु लाईसेंसिंग और फॉर्मेट (परिशिष्ट- पाँच)

*आश्वासनों संबंधी कार्यान्वयन प्रतिवेदन 01.12.2021 को सभा पटल पर रखा गया।

5.	अता.प्र.सं. 5681 दिनांक 10.05.2012	रेल	रेल डिब्डा कारखाना (परिशिष्ट- छह)
6.	अता.प्र.सं. 133 दिनांक 27.11.2019 (श्री धर्मबीर सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	रेल	सिग्नलिंग प्रणाली का उन्नयन (परिशिष्ट- सात)
7.	अता.प्र.सं. 2170 दिनांक 08.03.2021	वित्त (आर्थिक कार्य विभाग)	करेन्सी प्रारूप में नवाचार (परिशिष्ट- आठ)
8.	अता.प्र.सं. 2170 दिनांक 08.03.2021	वित्त (आर्थिक कार्य विभाग)	बिटकॉइन के कारोबार पर प्रतिबंध (परिशिष्ट- नौ)

4. उत्तरों से उत्पन्न आश्वासनों तथा उपर्युक्त 08 आश्वासनों को छोड़ने हेतु मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारणों का ब्यौरा परिशिष्ट - दो से नौ में दिया गया है।

5. समिति की 02 दिसम्बर, 2021 को हुई बैठक जिसमें आश्वासन छोड़ने के अनुरोधों पर विचार किया गया, का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट- दस में दिया गया है।

नई दिल्ली;
22 मार्च, 2022
01 चैत्र , 1944 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल
सभापति
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22)

आश्वासनों को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों का सारांश दर्शाने वाला विवरण जिन पर 02 दिसम्बर, 2021 को समिति द्वारा विचार किया गया ।

क्रम सं.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
1	2	ता.प्र.सं. 298 दिनांक 14.12.2011	कोयला	-	कोल इंडिया लिमिटेड के अस्पताल और औषधालय
2	3	अता.प्र.सं. 2248 दिनांक 08.03.2021	वित्त	राजस्व विभाग	अंतः राज्य स्वर्ण परिवहन के लिए ई-वे बिल
3*	4	अता.प्र.सं. 2396 दिनांक 28.03.2012	संचार	दूरसंचार विभाग	राष्ट्रीय ब्राडबैंड प्लान
4*	5	अता.प्र.सं. 402 दिनांक 19.07.2016	कृषि और कृषक कल्याण	कृषि और कृषक कल्याण विभाग	जीएम प्रौद्योगिकी करार दिशा-निर्देशों हेतु लाईसेंसिंग और फॉर्मेट
5	6	अता.प्र.सं. 5681 दिनांक 10.05.2012	रेल	-	रेल डिब्डा कारखाना
6	7	अता.प्र.सं. 133 दिनांक 27.11.2019 (श्री धर्मबीर सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	रेल	-	सिग्नलिंग प्रणाली का उन्नयन
7	8	अता.प्र.सं. 3208 दिनांक 14.03.2018	रक्षा	रक्षा विभाग	लड़ाकू विमान

* आश्वासनों संबंधी कार्यान्ययन प्रतिवेदन 01.12.2021 को सभा पटल पर रखा गया।

8	9	अता.प्र.सं. 2170 दिनांक 08.03.2021	वित्त	आर्थिक कार्य विभाग	करेन्सी प्रारूप में नवाचार
9	10	अता.प्र.सं. 1042 दिनांक 22.11.2019	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	-	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
10	11	अता.प्र.सं. 2222 दिनांक 08.03.2021	वित्त	आर्थिक कार्य विभाग	बिटकॉइन के कारोबार पर प्रतिबंध

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 02

विषयः "कोल इंडिया लिमिटेड के अस्पताल और औषधालय" विषय से संबंधित दिनांक 14.12.2011 के तारांकित प्रश्न सं. 298 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने हेतु अनुरोध ।

दिनांक 14.12.2011 को श्री नित्यानंद प्रधान और श्री तथागत सत्पथी, संसद सदस्य ने कोयला मंत्री से तारांकित प्रश्न सं. 298 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं ।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा कोयला मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. कोयला मंत्रालय ने अपने दिनांक 06.12.2019 के का.ज्ञा.सं. 54016/26/2011-सीएसआरएंडडब्ल्यू द्वारा निम्नलिखित आधार पर आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है:-

"कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों के क्षेत्र में पांच मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का मामला प्रक्रियाधीन है । यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और इसके समाप्त होने की समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। इस मामले को सीआईएल के साथ नियमित रूप से उठाया की जा रहा है, तथापि सीआईएल से अभी भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। सीआईएल को पूरी जानकारी भेजने में कुछ और समय लग सकता है।"

4. समिति द्वारा 21 जुलाई 2020 को हुई अपनी बैठक में आश्वासन को छोड़ने संबंधी अनुरोध पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि आश्वासन को न छोड़ा जाए। तदनुसार समिति ने 13 फरवरी, 2021 को अपना 18वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत किया और अन्य बातों के साथ-साथ यह आग्रह किया कि मंत्रालय द्वारा इस मामले के शीघ्र और समुचित कार्यान्वयन हेतु इसे कोयला मंत्रालय के साथ तत्परता से उठाया जाए ।

5. तथापि कोयला मंत्रालय ने अपने दिनांक 27 मई 2021 के का.ज्ञा.सं. 54016/26/2011-सीएसआरएंडडब्ल्यू द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत् बताया:-

"कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के परामर्श से इस मामले की फिर से जांच की गई है। सीआईएल के अध्यक्ष ने दिनांक 17.08.2020 के पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि कई अवसरों पर आश्वासन की निगरानी, समीक्षा और चर्चा की गई है और आश्वासन को पूरा करने के लिए सीआईएल द्वारा समय-समय पर अद्यतन स्थिति नोट प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, इसे आंशिक रूप से कार्यान्वित माना गया था। आश्वासन के विषय पर विशिष्ट उत्तर और स्थिति के लिए इस मामले को सीआईएल के साथ उठाया गया है। सीआईएल ने अपने दिनांक 12.05.2021

के नवीनतम पत्र के माध्यम से कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सीआईएल के विचारार्थ अनुरोध से पहले आश्वासन को छोड़ने के अनुरोध को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021) द्वारा 21 जुलाई, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकार नहीं किया गया है। सीआईएल ने कहा गया के तहत है कि मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का प्रचालन एक विशिष्ट कार्य है जिसके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों क्षेत्रों में अनुमति और मान्यता हेतु राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानदंडों के अनुपालन के साथ-साथ क्षेत्र विशिष्ट अनुभव की भी आवश्यकता होती है । सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के पास मेडिकल कालेज को शासित और संचालित करने की सक्षमता या विशेषज्ञता नहीं है । केवल एमसीएल द्वारा सीएसआर पहल के तहत तलचर में मेडिकल कालेज सह हास्पीटल की स्थापना की गई है और ' महानदी मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट' बनाया गया है जो संस्था के प्रचालन, शासन पर्यवेक्षण और प्रबंधन हेतु एक आपरेटर का चयन करेगा। नवीनतम जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अकादमिक वर्ष 2022-23 से प्रचालन शुरु करने के उद्देश्य से न्यास की ओर से निविदा आमंत्रित की गई है । झारखंड में राज्य सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कालेज का भुगतान आधार पर निर्माण करने हेतु लगभग 20 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने संबंधी सीसीएल के प्रयासों को सफलता नहीं मिली है ।

सीआईएल ने बताया है कि 2010 और 2021 के बीच सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों में राज्य-वार चिकित्सा सीटें जहां सीआईएल की सहायक कंपनियां मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव करती हैं, 146% की स्वस्थ वृद्धि का संकेत देती हैं (जैसा कि भारतीय चिकित्सा परिषद की वेबसाइट से प्राप्त दिनांक 12.05.2021 के पत्र में तालिका में दिखाया गया है) जो शायद अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्य सरकार की उदासीन प्रतिक्रिया का एक प्रमुख कारण हो सकता है।

सीआईएल के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि चूंकि आश्वासन को पूरा करने में पहले ही काफी विलंब हो चुका है और ईसीएल, बीसीसीएल और सीसीएल जैसी सहायक कंपनियों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। उपर्युक्त की पृष्ठभूमि में, सीआईएल के अध्यक्ष ने उपर्युक्त संदर्भित लोक सभा तारांकित प्रश्न के उत्तर में आश्वासन को छोड़ने के लिए अनुकूल सिफारिश करने का अनुरोध किया है।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत मंत्रालय ने कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का पुनः अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

नई दिल्ली
दिनांकः 24.11.2021

कोल इंडिया लिमिटेड के अस्पताल और औषधालय

*298. श्री नित्यानंद प्रधान :

श्री तथागत सतपथी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां देश में चिकित्सा, महाविद्यालय, अस्पताल, औषधालय तथा शैक्षिक संस्थाएं चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थित है;

(ग) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निकट भविष्य में स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इन महाविद्यालयों को कब तक शुरू/चालू किए जाने की संभावना है तथा इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां कोई मेडिकल कालेज अथवा शैक्षणिक संस्थाएं नहीं चला रही है। वे कोलफील्ड के विभिन्न हिस्सों में डिस्पेन्सरी स्तर से लेकर केंद्रीय और शीर्ष अस्पतालों में विभिन्न चिकित्सीय प्रतिष्ठानों के माध्यम से कर्मचारियों और उनके परिवारों को मेडिकल सुविधाएं प्रदान कर रही है। कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के क्षेत्रों में 85 अस्पताल और 424 डिस्पेन्सारियां है।

कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	कंपनी	डिस्पेन्सरी	अस्पताल
पश्चिम बंगाल और झारखंड	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	128	12
झारखंड और पश्चिम बंगाल	भारत कोकिंग कोल लि.	96	14
झारखंड	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	63	19
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	54	11
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	47	17
ओडिशा	महानदी कोलफील्ड्स लि.	14	07
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	10	03
असम	कोल इंडिया लि.	07	02
पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	कोल माइन प्लानिंग एवं डिजायन इंस्टीट्यूट लि.	02	–
पश्चिम बंगाल	कोल इंडिया लि.	01	–
पश्चिम बंगाल	दुनकानी कोल काम्पलैक्स एसईसीएल	02	–
	कुल	424	85

(ग) से (ङ) कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियों के क्षेत्रों में 5 मेडिकल कालेजों की स्थापना का प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है। सरकार द्वारा मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भूमि कोल कंपनियों के पास पहले से ही उपलब्ध है। चूंकि यह प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है, इसलिए यह बता पाना संभव नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा और इस संबंध में कितनी निधि खर्च की जानी है।

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 03

विषयः "अंतः राज्य स्वर्ण परिवहन के लिए ई-वे बिल" विषय से संबंधित दिनांक 08.03.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 2248 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने हेतु अनुरोध ।

दिनांक 08.03.2021 को श्री हिषी ईडन, संसद सदस्य ने वित्त मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 2248 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अपने दिनांक 26.08.2021 के का.ज्ञा.सं. सीबीईसी-20/14/04/2021-जीएसटी/1215 द्वारा निम्नलिखित बताया:-

"सोने और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन जीएसटी परिषद द्वारा 22.11.2019 को किया गया था। जीएसटी परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 279क के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है और वस्तु और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिशें करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का एक संघीय मंच है। यह एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र सरकार से स्वतंत्र है। मौजूदा आश्वासन को पूरा करना केवल उक्त मंत्रियों के समूह द्वारा जीएसटी परिषद को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर आधारित है। तदनुसार, इस मंत्रालय के पास जीएसटी परिषद या जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के समूह को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, यह कार्यालय उक्त आश्वासन की पूर्ति के लिए कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के अनुमोदन से आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांकः 24.11.2021
नई दिल्लीः

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2248
(जिसका उत्तर सोमवार, 08 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है)

"अंत:राज्य स्वर्ण परिवहन के लिए ई-वे बिल"

2248. श्री हिबी ईडन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जीएसटी परिषद् से संबंधित मामले देखने वाली उप-समिति ने अंत:राज्य स्वर्ण परिवहन हेतु ई-वे बिल को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन राज्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है;
(ग) गत तीन वित्त वर्षों 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए केरल में स्वर्ण तस्करी के मामलों की संख्या दर्शाने वाले आंकड़ों का ब्यौरा क्या हैं;
(घ) क्या स्वर्ण तस्करी और कर वंचन के सूचना प्रदाताओं को पुरस्कृत किया जाता है;और
(ङ) यदि हां, तो क्या सूचना प्रदाताओं के लिए पुरस्कार में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) तथा (ख) जीएसटी परिषद् ने स्वर्ण एवं बहुमूल्य रत्नों के परिवहन के संदर्भ में दिनांक 22/11/2019 को एक मंत्री दल का गठन किया है, जिसका उद्देश्य स्वर्ण एवं बहुमूल्य रत्नों के परिवहन के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता को लागू करने की व्यवहारिकता की जांच-परख करना तथा ऐसे अन्य वैकल्पिक रास्ते एवं तंत्र के बारे में सुझाव देना है जिससे कि कर वंचन को नियंत्रित किया जा सके । इस मंत्री दल ने अभी तक जीएसटी परिषद् के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग)

वित्तीय वर्ष	सीमाशुल्क अधिनियम के तहत दर्ज किए गए स्वर्ण तस्करी के मामलों की संख्या	जब्त किए गए स्वर्ण की प्रमात्रा(कि.ग्रा.में)
2017-18	489	251.4
2018-19	1136	507.58
2019-20	1000	579.91

(घ) जी हां, जो भी स्वर्ण तस्करी और कर-अपवंचन के बारे में जानकारी देते है उन्हें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमाशुल्क के वर्तमान पारितोषिक दिशा निर्देशों के अनुसार पारितोषिक प्रदान करने पर विचार किया जाता है।

(ङ) सूचना देने वाले को बढ़ा हुआ पारितोषिक प्रदान किए जाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

*****

<u>लोक सभा सचिवालय</u>

<u>सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा</u>

<u>ज्ञापन सं. 04</u>

विषयः "राष्ट्रीय ब्राडबैंड प्लान" विषय से संबंधित दिनांक 28.03.2012 के अतारांकित प्रश्न सं. 2396 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने हेतु अनुरोध ।

दिनांक 28.03.2012 को श्री रावसाहेब दानवे पाटील, श्री एम.के. राघवन, श्री हंसराज गं. अहीर, श्री राधे मोहन सिंह, श्री वरूण गांधी, श्री हरिश्चंद्र चव्हाण, श्री रामसिंह कस्वां, श्री आर. थामराईसेलवन, श्री सुरेश कुमार शेटकर, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्यों ने संचार मंत्री (दूरसंचार विभाग) से अतारांकित प्रश्न सं. 2396 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं ।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने अपने दिनांक 01 दिसंबर, 2015 के का.ज्ञा.सं. 8/09/2012-पालिसी-I द्वारा निम्नलिखित आधार पर आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है:-

"कि राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना की योजना वर्ष 2011 में देश की सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख) को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और रेलटेल के मौजूदा फाइबर का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के माध्यम से जोड़ने के लिए शुरु की गई थी ताकि गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सेवा प्रदाताओं की सभी श्रेणियों द्वारा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों (जीपी) और ब्लॉकों के बीच कनेक्टिविटी अंतर को पूरा किया जा सके। इस परियोजना को सरकार द्वारा दिनांक 25-10-2011 को अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना को यूएसओएफ द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और इसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, जिसे 25-02-2012 को शामिल किया गया है। एनओएफएन को दिसंबर, 2016 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया था।

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के कार्यान्वयन की गति को देखते हुए भारत सरकार ने एनओएफएन परियोजना के तेजी से कार्यान्वयन की दिशा में कार्यनीति और दृष्टिकोण की समीक्षा करने के लिए 14 जनवरी, 2015 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति के अधिदेशों में से एक यह था कि वे ऐसे समाधान खोजे जाएं जो दिसंबर, 2016 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित कर सकें। समिति ने इस मुद्दे पर काफी विचार किया और उनका मानना था कि दिसंबर, 2016 की समय-सीमा का पालन मौजूदा ढांचे या समिति द्वारा

सुझाए गए संशोधित ढांचे में किया जाना व्यवहार्य नहीं है। समिति ने 31 मार्च, 2015 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिसम्बर, 2017 तक की संशोधित समय-सीमा का उल्लेख किया गया है।

एनओएफएन संबंधी समिति के प्रतिवेदन के आधार पर परियोजना के कार्यान्वयन की नीति, दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी आदि की पणधारकों के परामर्श से जांच की जा रही है। इसलिए, यह आशा की जाती है कि सभी ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए परियोजना के पूरा होने में काफी समय लगेगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा सचिवालय द्वारा लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2396 जिसका उत्तर 28.03.2012 को दिया गया था, के संबंध में दिए गए संसदीय आश्वासनों को छोड़ने पर विचार किया जाए।"

4. समिति द्वारा 17 जून, 2016 को हुई अपनी बैठक में आश्वासन को छोड़ने संबंधी अनुरोध पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि आश्वासन को न छोड़ा जाए। तदनुसार समिति ने 15.12.2016 को अपना 46वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) प्रस्तुत किया और यह आग्रह किया कि मंत्रालय द्वारा इस रवैये को छोड़ा जाए और समन्वित व समेकित प्रयास करते हुए आश्वासन को शीघ्र पूरा किया जाए।

5. तथापि संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने अपने दिनांक 31.08.2021 के का.ज्ञा.सं. 8/09/2012-पालिसी-I द्वारा बताया गया है कि:-

"भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाया जा सके। भारतनेट का दायरा हाल ही में सभी बसे हुए गांवों को कवर करने के लिए बढ़ाया गया है। 30.06.2021 को, कैंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए जीपी सहित लगभग 3.61 लाख गांवों को कवर करते हुए देश के 16 राज्यों में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए एक संशोधित रणनीति के लिए मंजूरी दी है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी बसे हुए गांवों में ब्रॉडबैंड के विस्तार के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को अगस्त, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत मंत्रालय ने संचार राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

नई दिल्ली:
दिनांक: 24.11.2021

अनुबंध

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 - 2396
उत्तर देने की तारीख - 28 मार्च, 2012

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड प्लान

2396. श्री रावसाहेब दानवे पाटील; श्री एम0के0 राघवन; श्री हंसराज गं0 अहीर; श्री राधे मोहन सिंह; श्री वरूण गांधी; श्री हरिश्चंद्र चव्हाण; श्री रामसिंह कस्वां; श्री आर0 थामराईसेलवन; श्री सुरेश कुमार शेटकर; डॉ0 किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड प्लान तैयार करके उसे अंतिम रूप दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;
(ग) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सुविधायें प्रदान की गई हैं/ किये जाने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने गांवों/पंचायतों को शामिल किया गया है;
(ङ) क्या इन्टरनेट ब्रॉडबैंड की धीमी गति से आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा इससे देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रभावित हुआ है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में ब्रॉडबैंड का प्रसार बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) से (घ) : दूरसंचार विभाग को ट्राई द्वारा 'राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना' विषय पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा दिनांक 8 दिसंबर, 2010 को दी गई सिफारिशें प्राप्त हो गई थीं। सरकार ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड संपर्कता प्रदान करने के लिए पहले ही दिनांक 25 अक्तूबर, 2011 को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के सृजन संबंधी स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। इस स्कीम का लक्ष्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का उपयोग करते हुए पंचायतों तक मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना है। यह परियोजना दो वर्षों में पूरी हो जानी प्रस्तावित है।

इसके अलावा, यूएसओएफ ने ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा का और अधिक विस्तार करने के लिए ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम आंरभ की है। इस स्कीम के तहत बीएसएनएल ने वैयक्तिक प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थाओं को पांच वर्षों की अवधि के दौरान

888832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करेगा। फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार, कुल 354595 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। दूरसंचार सर्किलवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

साथ ही, भारत निर्माण-II के तहत वर्ष 2012 में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य है। ग्रामीण पंचायतों को ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराने का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2011 के संशोधित मसौदे में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव रखा है कि मौजूदा ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड को 256 केबीपीएस से 512 केबीपीएस तक तथा बाद में वर्ष 2015 तक 2 एमबीपीएस तक तथा इसके बाद कम से कम 100 एमबीपीएस की उच्च गति तक संशोधित किया जाए। तथापि, इस संबंध में अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) और (च) : अध्ययनों से यह पता चला है कि इंटरनेट/ब्रॉडबैंड के विस्तार में वृद्धि होने से सकल घरेलू उत्पाद के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

इसके अलावा, ब्रॉडबैंड में विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं :

(i) 3जी एवं बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आंवटन से मोबाइल हैंडसेटों तथा बेतार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ब्रॉडबैंड सुविधा के विस्तार में सुगमता होगी।

(ii) सेवा प्रदाताओं के बीच अवसंरचना की साझेदारी की अनुमति देना।

(iii) भारतीय तार नियमावली संशोधित कर दी गई है तथा ' गांवों में चरणबद्ध रूप से ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना ' शीर्षक के अंतर्गत धारा IV जोड़ दिया गया है ताकि यूएसओएफ के कार्यक्षेत्र के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड संपर्कता प्रदान की जा सके।

(iv) ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं हेतु साझाकृत अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए यूएसओएफ स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन टावरों का उपयोग कवर किए गए नए ब्लॉक/ताल्लुक मुख्यालयों में ब्रॉडबैंड संपर्कता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

(v) यूएसओएफ के तहत ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम आंरभ की गई है ताकि ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की सुविधा का और अधिक विस्तार किया जा सके। इस योजना के तहत बीएसएनएल वैयक्तिक प्रयोक्ताओं और सरकारी संस्थाओं को 5 वर्षों की अवधि के दौरान 888832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करेगा।

अनुबंध-I

फरवरी 2012 तक यूएसओएफ योजनाओं के तहत बीएसएनएल द्वारा प्रदत्त ब्रॉडबैंड कनेक्शन

दूरसंचार सर्किल	कुल यूएसओएफ कनेक्शन
अंडमान और निकोबार	325
आंध्र प्रदेश	48,707
असम	1,750
बिहार	3,024
छत्तीसगढ़	1,669
चेन्नै दूरसंचार जिला	5,418
गुजरात	21,480
हरियाणा	11,395
हिमाचल प्रदेश	7,379
जम्मू और कश्मीर	1,291
झारखंड	1,647
कर्नाटक	23,377
केरल	78,532
मध्य प्रदेश	4,231
महाराष्ट्र	28,387
पूर्वोत्तर-I	835
पूर्वोत्तर-II	365
उड़ीसा	6,165
पंजाब	40,098
राजस्थान	16,410
तमिलनाडु	25,602
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	7,730
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	4,135
उत्तरांचल	1,707
पश्चिम बंगाल	12,936
कुल	**3,54,595**

दिनांक 31.12.2012 तक भारत निर्माण-II के तहत ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई ब्रॉडबैंड सुविधा की स्थिति			
क्र0सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल उपलब्धि
1	अंडमान और निकोबार	**67**	56
2	आंध्र प्रदेश	**21862**	14034
3	असम	**3943**	2062
4	बिहार	**8460**	7788
5	छत्तीसगढ़	**9837**	2150
6	गुजरात (दादर नगर हवेली और दमन द्वीव सहित)	**14439**	7599
7	हरियाणा	**6234**	5651
8	हिमाचल प्रदेश	**3241**	1862
9	जम्मू और कश्मीर	**4146**	1308
10	झारखंड	**4559**	4460
11	कर्नाटक	**5657**	3779
12	केरल	**999**	997
13	लक्षद्वीप	**10**	5
14	मध्य प्रदेश	**23022**	4171
15	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	**28078**	10294
16	त्रिपुरा	**1040**	1190
17	मिजोरम**	**768**	
18	मेघालय**	**1463**	
19	अरूणाचल प्रदेश	**1756**	1410
20	मणिपुर	**3011**	
21	नागालैंड**	**1110**	
22	उड़ीसा	**6233**	2372
23	पंजाब	**12809**	11100
24	चंडीगढ़	**17**	16
25	राजस्थान	**9200**	2946
26	तमिलनाडु	**12617**	9308
27	पांडिचेरी	**98**	98
28	उत्तर प्रदेश	**52125**	43003
29	उत्तराखंड	**7546**	2474
30	पश्चिम बंगाल	**3354**	2475
31	सिक्कम	**163**	66
	कुल	**247864**	**142674**

*****

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 05

विषय: 'जीएम प्रौद्योगिकी करार दिशानिर्देशों हेतु लाइसेंसिंग और फॉर्मेट' से संबंधित दिनांक 19.07.2016 के अतारांकित प्रश्न सं. 402 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध ।

19 जुलाई 2016 को श्री ओम बिरला संसद सदस्य ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 402 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस सबंध में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता, और किसान कल्याण विभाग) ने अपने दिनांक 06.09.2021 के का.ज्ञा. सं. 4-156/2016-एसडी.IV के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

> "विभाग को किसानों, बीज संघों, सीआईआई, कॉरपोरेट घरानों, औद्योगिक संघों आदि से टिप्पणियां पास हुई और अधिकांश बीज संघ, कॉरपोरेट घराने और डीपीआईआईटी आदि दिशानिर्देशों के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि इससे देश में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार हतोत्साहित होगा जो एक लंबी, जटिल और बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। इस प्रकार, दिशानिर्देश दीर्घकाल में किसानों के कल्याण और व्यापार करने में सुगमता में भी बाधा उत्पन्न करेंगे। इसके अलावा, दिशानिर्देश को दिनांक 24.05.2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

नई दिल्ली:

दिनांक: 24.11.2021

अनुबंध

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 402
19 जुलाई, 2016 को उत्तरार्थ

विषय : जीएम प्रौद्योगिकी करार दिशानिर्देशों हेतु लाइसेंसिंग और फॉर्मेट

402. श्री ओम बिरला:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जीएम विकासकर्त्ताओं को मांग पर उनका प्रोप्राइटरी विशेषताओं की अनिवार्य रूप से लाइसेंसिंग कराने की अधिसूचना को वापस ले लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बीजों के अधिकतम बिक्री मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक की किसी भी रॉयल्टी की वसूली नहीं करने के निर्णय को भी वापिस लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जीएम प्रौद्योगिकी करार दिशानिर्देशों हेतु लाइसेंसिंग और फॉर्मेट की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है और बीजों के बिक्री मूल्य पर अनिवार्य लाइसेंस और रॉयल्टी पर सरकार का कब तक औपचारिक पुष्टि करने का विचार है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत)</u>

(क) और (ख) : जी हां, सरकार ने एस.ओ.सं.1813(ई) दिनांकित 18 मई, 2016 द्वारा जारी जीएम प्रौद्योगिकी करार दिशानिर्देशों के लिए लाइसेंसिंग और फॉर्मेट की अधिसूचना को 24 मई 2016 से वापस ले लिया है। जीएम प्रौद्योगिकी करार के लिए इन लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों और फॉर्मेट को इसको अंतिम रूप दिए जाने से पहले वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि से 90 दिनों के अंदर सभी पणधारियों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

(ग) : जीएम प्रौद्योगिकी करार के लिए लाइसेंसिंग और फॉर्मेट की मुख्य विशेषताओं में मेले, उचित, तर्कसंगत एवं भेदभाव रहित (एफआरएएनडी) आवंटन, अधिकतम विशेष मूल्य का सीमितिकरण, पात्रता मानदंड पूरे करने वाली किसी भी सुपात्र बीज कंपनी को लाइसेंस दिए जाने संबंधी मनाही का अनाधिकार, प्रभावोत्पादकता की हानि के मामले में विशेष मूल्य शून्य, वैकल्पिक जीएम प्रौद्योगिकी के लिए करार में गैर प्रतिबंधात्मक शर्त आदि बातें शामिल हैं।

90 दिनों के पूर्ण होने पर सभी पणधारियों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने के पश्चात इन मसौदा लाइसेंसिंग दिशानिर्देश पर निर्णय लिया जाएगा।

.....

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 06

विषय: 'रेल डिब्बा कारखाना' से संबंधित दिनांक 10.05.2012 के अतारांकित प्रश्न सं. 5681 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

10 मई 2012 को श्री प्रबोध पांडा, संसद सदस्य ने रेल मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 5681 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2 समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रेल मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने अपने दिनांक 25.03.2015 के का.ज्ञा. सं. 2012/ईलेक्ट/डेव/एलएसक्यू/एश्योरेंस(1) के माध्यम से इस आश्वासन को निम्नलिखित आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है:-

> "कि रेल डिब्बा कारखाना/कांचरापाड़ा से संबंधित विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं। पारेषण और नए सब-स्टेशन भवन का कार्य पूरा कर लिया गया है।
>
> संयुक्त उद्यम भागीदार के चयन के लिए, वित्तीय बोली चरण में भाग लेने के लिए बोलीदाताओं को पहले ही चयन सूची में शामिल (शॉर्टलिस्ट) कर लिया गया है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, परियोजना विशिष्ट परिवर्तनों को छोड़कर, मढ़ौवरा और माधेपुरा रेल इंजन (लोकोमोटिव) कारखानों के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित बोली दस्तावेजों का आमतौर पर रेल कोच फैक्ट्री/कांचरापाड़ा के लिए पालन किया जाएगा। बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जा सकता है। मंत्रालय ने ईएमयू/एमईएमयू डिब्बों सहित रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात बोली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। इसलिए आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है।"

4. 19 नवंबर 2015 को हुई अपनी बैठक में समिति द्वारा आश्वासन छोड़ने के उपरोक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। समिति ने तदनुसार 21 दिसंबर, 2015 को अपना 26वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) प्रस्तुत किया और मंत्रालय से रेल डिब्बा कारखाना/कांचरपाड़ा से संबंधित कार्य में उचित योजना और समन्वय के साथ तेजी लाने और आश्वासन को यथाशीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करने की सिफारिश की।

5. तथापि, रेल मंत्रालय ने ओ.एम. संख्या 2018/एम(डब्ल्यू)/443/9 दिनांक 02 सितंबर, 2021 में निम्नानुसार कहा है:-

> "कांचरपाड़ा में रेल डिब्बा कारखाना की स्थापना का कार्य वर्ष 2010-11 में रेल डिब्बों के निर्माण के लिए नियोजित/स्वीकृत किया गया था। हालांकि, भविष्य में डिब्बों की निरंतर मांग ऐसी परियोजनाओं को स्थापित करने की एक पूर्व-आवश्यकता होती है। वर्तमान निर्माण क्षमता की तुलना में रेल की आवश्यकता की समीक्षा की गई है और निकट भविष्य में रेल डिब्बों की आवश्यकता नए रेल डिब्बा कारखाने का निर्माण तत्काल शुरू करने को न्यायसंगत नहीं ठहराता है। इसे मंत्रालय का अंतिम निर्णय माना जाएगा।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का पुनः अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 24.11.2021
नई दिल्ली

अनुबंध I

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं॰ 5681

जिसका उत्तर दिनांक 20.05.2012 को दिया गया

रेल डिब्बा कारखाना

5681. श्री प्रबोध पांडा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रायबरेली, कांचरापाड़ा और पालक्काड में रेल डिब्बा कारखाने (आर॰सी॰एफ॰) स्थापित किए जाने के संबंध में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक इसके लिए आबंटित/व्यय की गई निधियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त आर॰ सी॰ एफ॰ की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त आर॰ सी॰ एफ॰ के कब तक चालू हो जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में कार्य में तेजी लाने के लिए रेलवे द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा):(क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) रायबरेली, कांचरापाड़ा और पालक्काड में रेल सवारी डिब्बा कारखानों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:—

रेल सवारी डिब्बा कारखाना, रायबरेली

रेल सवारी डिब्बा कारखाना के चरण-I के लिए निर्माण कार्य पूरा हो गया है और एलएचबी डिजाइन सवारी डिब्बों की पेंटिंग, फर्निशिंग, असेंबली और टेस्टिंग का कार्य 2011-12 के दौरान शुरू किया गया है। चरण-II के लिए निर्माण कार्य और मशीनरी एवं संयंत्र का प्रापण (ढांचा विनिर्माण कारखाना, बोगी शॉप, व्हील शॉप, प्रशासनिक ब्लॉक कर्मचारी एवं अधिकारी कॉलोनी) का कार्य पहले ही शुरू हो गया है।

रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कांचरापाड़ा

भूमि विकास, बिजली आपूर्ति प्रबंधन, सड़क और रेल संपर्कता से संबंधित कार्य प्रगति पर है। अर्हकता के अनुरोध (आरएफक्यू) को अंतिम रूप देने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली (आईसीबी) द्वारा बोलीदाताओं की सूची तैयार की गई है। बोली संबंधी दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

रेल सवारी डिब्बा कारखाना, पालक्काड

केरल में पालक्काड में रेल सवारी डिब्बा कारखाना की स्थापना के कार्य को संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रेल बजट 2012-13 में शामिल किया गया है।

(ख) इन कारखानों पर खर्च की गई धनराशि निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए में)

	लागत	व्यय (मार्च, 2012 तक)
रायबरेली	1685	449.81
कांचरापाड़ा	860.16	8.46
पालक्काड	550	कुछ नहीं

(ग) एवं (ङ) समय पर पूरा किए जाने के लिए इन परियोजनाओं की प्रगति पर नियमित आधार पर निगरानी रखी जा रही है।

(घ) रेल सवारी डिब्बा कारखाना पहले से कार्य कर रहा है। कांचरापाड़ा और पालक्काड में रेल सवारी डिब्बा कारखाने इन कारखानों की स्थापना के लिए ठेके दिए जाने के तीन वर्ष बाद कार्य करना शुरू कर देंगे।

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 07

विषय: 'सिग्नलिंग प्रणाली का उन्नयन' से संबंधित दिनांक 27 नवम्बर, 2019 के तारांकित प्रश्न सं. 133 (श्री धर्मवीर सिंह द्वारा अनुपूरक प्रश्न) के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

27 नवम्बर 2019 को श्री धर्मवीर सिंह, संसद सदस्य ने रेल मंत्री से तारांकित प्रश्न सं. 133 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. चर्चा के दौरान श्री धर्मबीर सिंह, संसद सदस्य ने रेल मंत्री से निम्नलिखित पूरक प्रश्न पूछा:-

"माननीय अध्यक्ष, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेलवे ने गत वर्षों में सराहनीय कार्य किये है और हम माननीय मंत्री के उत्तर से भी संतुष्ट हैं। पहले दिल्ली-रेवाड़ी, हिसार से भटिंडा तक एक रेलगाड़ी, हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी। मैं पूछना चाहता हूं कि इसे पुनः कब शुरू किया जाएगा? इसके अतिरिक्त, भिवानी से रेल लाइन का कार्य कब शुरू होगा?"

3. उत्तर में तत्कालीन रेल मंत्री (श्री सुरेश चन्नबसप्पा अंगड़ी) ने निम्नानुसार कहा:-

"माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जो रेल लाइन शुरू करवाना चाहते हैं, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से भूमि और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है, तत्पश्चात हम कार्य शुरू करेंगे।"

4. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रेल मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

5. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने अपने दिनांक 11 अगस्त 2021 के का.ज्ञा. सं. 2021/जेवी सेल/एश्योरेंस/एचआरआईडीसी के माध्यम से इस आश्वासन को निम्नलिखित आधार पर निम्नवत् बताया:-

"भिवानी-लोहारू नई रेल लाइन (58.83 किमी) के लिए व्यवहार्यता अध्ययन हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचआरआईडीसी), हरियाणा सरकार (51%) और रेल मंत्रालय (49%) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा मार्च 2019 में किया गया है। व्यवहार्यता

रिपोर्ट हरियाणा सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई है। परियोजना की लागत 519.69 करोड़ रूपये है और यह परियोजना गैर-लाभकारी है क्योंकि इसकी प्रारंभिक लाभ दर (आईआरआर) बहुत कम (1.01%) है। इन परिस्थितियों में रेल मंत्रालय आगे कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक: 24.11.2021
नई दिल्ली

अनुबंध-VI

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2019 के
तारांकित प्रश्न सं. 133 का उत्तर

सिग्नलिंग प्रणाली का उन्नयन

*133. श्री धर्मवीर सिंहः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-रेवाड़ी रेल लाइन पर यातायात के दबाव से निपटने और इस खंड पर और अधिक रेलगाड़ियां चलाने के लिए सिग्नलिंग प्रणाली के उन्नयन के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सिग्नलिंग प्रयोजनों हेतु खलीलपुर से रेवाड़ी तक के लंबे ब्लॉक को दो हिस्सों में बांटने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;
(घ) क्या भोजावास हाल्ट प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने का काम एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित है क्योंकि निधि की कमी के कारण निविदा रद्द कर दी गई थी; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

सिग्नलिंग प्रणाली के उन्नयन के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को लोक सभा में श्री धर्मवीर सिंह के तारांकित प्रश्न सं.133 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) जी हां। दिल्ली-रेवाड़ी खंड पर लाइन क्षमता संवर्धन के लिए दिल्ली-रेवाड़ी खंड की सिगनल प्रणाली में सुधार संबंधी निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं/स्वीकृत कर दिए गए हैं:

(I) 10 स्टेशनों पर आधुनिक इलैक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग और एक स्टेशन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग स्थापित कर दी गई है।

(II) दो स्टेशनों पर सिगनल गियरों के स्थान पर इलैक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है।

(III) दिल्ली सराय रोहिल्ला, पटेल नगर और दिल्ली केन्ट स्टेशनों पर गाड़ी परिचालनों का दक्षता से संचालन करने के लिए गाड़ी प्रबंधन प्रणाली स्वीकृत कर दी गई है।

(ख) और (ग): जी हां। खलीलपुर-रेवाड़ी खंड में इंटरमीडिएट ब्लॉक सिगनल प्रणाली के प्रावधान का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है और इसे 28.02.2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) और (ङ): भोजवास हॉल्ट के प्लेटफॉर्म की ऊँचाई बढ़ाने के कार्य को स्टेशनों पर आवश्यकतानुसार ऊपरी पैदल पुलों और/या उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म के प्रावधान के लिए एकमुश्त कार्य (अम्ब्रैला कार्य) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 में स्वीकृत किया गया है। इसकी निविदा निरस्त कर दी गई थी, क्योंकि यातायात के उच्चतर स्तर सहित स्टेशनों की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध निधि का पूर्णतया उपयोग किया गया था।

•••••

(Q. 133)

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष जी, इसमें दो राय नहीं है कि रेलवे ने पिछले वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है और मंत्री जी के उत्तर से हम संतुष्ट भी हैं। लेकिन सारा काम होते हुए भी पहले एक हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली-रेवाड़ी, हिसार से बठिंडा चलती थी। मैं पूछना चाहता हूं कि यह ट्रेन दोबारा कब शुरू होगी? इसके अलावा भिवानी से रेल लाइन का काम कब शुरू होगा ?

SHRI SURESH C. ANGADI: Sir, the hon. Member has stated that the Railways is doing a good job. I thank him for his appreciation. Whatever railway line the hon. Member wants to start in his place, यह जानकारी लेकर मैं आपको दे दूंगा और काम आगे बढ़ाने के लिए land availability and other facilities from the State Government are required, वह होने के बाद काम भी शुरू करेंगे।

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 09

विषय: 'करेंसी प्रारूप में नवाचार' से संबंधित दिनांक 08.03.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 2170 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

08 मार्च 2021 को श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, संसद सदस्य ने वित्त मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 2170 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 27 सितम्बर 2021 के का.ज्ञा. सं. 2/17/2021-सीवाई के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

"इस प्रश्न का उत्तर 08.03.2021 को दिया गया था। संसदीय कार्य मंत्रालय (एमओपीए) ने अपने दिनांक 06.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आश्वासन के बारे में सूचित किया है। इस संबंध में यह कहा गया है कि ' यह उत्तर सरकार आईएमसी की सिफारिश पर निर्णय लेगी और विधायी प्रस्ताव, यदि कोई हो, उचित प्रक्रिया के बाद संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, आश्वासन के आशय से नहीं दिया गया था। इस संबंध में विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्णय पर उचित प्रक्रिया में इस मंत्रालय के दायरे से बाहर है। इसलिए आश्वासन चूक समझकर छोड़ दिया जाए"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक: 24.11.2021
नई दिल्ली

अनुलग्नक

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2170

जिसका उत्तर 08 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है।

करेंसी प्रारूप में नवाचार

2170. **श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः**
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार करेंसी के वर्तमान प्रारूप में नवाचार हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बिटकॉइन हेतु कोई नई नीति लाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) डिजिटल लेन-देन सहित अन्य सभी प्रकार के नवीन करेंसी लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान डिजिटल लेन-देन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई कि "सरकार क्रिप्टो करेंसियों को वैध मुद्रा या सिक्का नहीं मानती और इन क्रिप्टो-आस्तियों के गैर कानूनी गतिविधियों के वित्तीयन अथवा भुगतान प्रणाली के भाग के रूप में इसके उपयोग को समाप्त करने हेतु सभी उपाय करेगी। सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने हेतु ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग करके उसका पता लगाएगी।" आभासी मुद्राओं (वीसी) से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और उसकी रिपोर्ट में की गई अनुशंसा जिसके तहत सभी निजी क्रिप्टोकरेंसियों, राज्य द्वारा जारी की गई क्रिप्टोकरेंसी के अतिरिक्त, भारत में प्रतिबंधित की जाएगी, के मामले में विशिष्ट कार्रवाई करने के प्रस्ताव के लिए सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया।

(घ): वित्त अधिनियम (संख्या 2), 2019 के माध्यम से डिजिटल लेनदेन नैटवर्क का विस्तार करने के उद्देश्य से प्राप्तकर्ता के खाता चैक या खाता प्राप्तकर्ता के बैंक ड्राफ्ट के अतिरिक्त अन्य निर्धारित इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से लेनदेन करने हेतु आयकर अधिनियम 1961 की धाराओं 13ए, 35एडी, 40ए, 43, 43सीए, 50सी, 56, 80जेजेएए, 269एसएस, 269एसटी और 269टी में संशोधन किए गए। तदनुसार, 29 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 8/2020 द्वारा अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों को नियत करने, जिनमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नैट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और भीम आधार भुगतान शामिल हैं, के लिए आयकर नियम 1962 में नियम 6एबीबीए को जोड़ा गया।

रोकड़ रहित अर्थव्यवस्था की ओर एक बदलाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्ड लेनदेनों सहित ऑनलाइन लेनदेनों को बढ़ावा देने हेतु और धोखाधड़ी की जांच और उस पर नियंत्रण रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न कदम उठाए हैं।

(ङ): इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में पिछले पांच वर्षों में डिजिटल भुगतान संबंधी लेनदेनों में अत्यधिक बढ़त दर्ज हुई। डिजिटल भुगतान वित्त वर्ष 2018-19 में 3,134 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2019-20 में 4,572 करोड़ रुपए तक बढ़ गया।

******

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 11

विषय: 'बिटकॉइन के कारोबार पर प्रतिबंध' से संबंधित दिनांक 08.03.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 2222 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

08 मार्च, 2021 को श्रीमती सुमलता अम्बरीश, संसद सदस्य ने वित्त मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 2222 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने अपने दिनांक 06 अक्टूबर के का.ज्ञा. सं. 2/18/2021-सीवाई के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

> "इस प्रश्न का उत्तर 08.03.2021 को दिया गया था। संसदीय कार्य मंत्रालय (एमओपीए) ने अपने 06.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आश्वासन के बारे में सूचित किया है। इस संबंध में यह कहा गया है कि 'यह उत्तर कि सरकार आईएमसी की सिफारिश पर निर्णय लेगी और विधायी प्रस्ताव, यदि कोई हो, उचित प्रक्रिया अपनाकर संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, आश्वासन के आशय से नहीं दिया गया था। इस संबंध में विधायी प्रस्ताव पेश करने के निर्णय संबंधी उचित प्रक्रिया में इस मंत्रालय के दायरे से है। इसलिए आश्वासन को चूक समझकर छोड़ दिया जाए।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक: 24.11.2021
नई दिल्ली

अनुबंध

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2222

जिसका उत्तर 08 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है।

बिटकॉइन के कारोबार पर प्रतिबंध

2222. श्रीमती सुमलता अम्बरीशः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में बिटकॉइन के कारोबार पर प्रतिबंध लगाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य क्रिप्टोकरेंसी आज भी प्रतिबंधित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रतिबंध के बावजूद देश में क्रिप्टोकरेंसी का अवैध कारोबार आज भी जारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इसमें शामिल जोखिम को देखते हुए इस संबंध में सख्त दिशानिर्देश जारी करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): बिटकॉइन, सहित आभासी मुद्राओं (वीसी) के साथ जुड़े जोखिमों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के परिपत्र के माध्यम से विनियमित सभी संस्थाओं को सलाह दी है कि आभासी मुद्राओं से संबंधित कार्य देख रहे या उनका निपटान करने हेतु किसी व्यक्ति या संस्था को सुविधा देने के लिए आभासी मुद्राओं का उपयोग न करें या संबंधित सेवाएं उपलब्ध न करवाएं।

तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 04 मार्च, 2020 के निर्णय द्वारा 2018 के डब्ल्यूपी (सी) सं. 528 और 2018 के डब्ल्यूपी (सी) सं. 373 में दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के उपर्युक्त परिपत्र को खारिज कर दिया है।

(घ) और (ङ): वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई कि "सरकार क्रिप्टो करेंसियों को वैध मुद्रा या सिक्का नहीं मानती और इन क्रिप्टो-आस्तियों के गैर कानूनी गतिविधियों के वित्तीयन अथवा भुगतान प्रणाली के भाग के रूप में इसके उपयोग को समाप्त करने हेतु सभी उपाय करेगी। सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने हेतु ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग करके उसका पता लगाएगी।" आभासी मुद्राओं (वीसी) से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और उसकी रिपोर्ट में की गई अनुशंसा जिसके तहत सभी निजी क्रिप्टोकरेंसियां, राज्य द्वारा जारी की गई क्रिप्टोकरेंसी के अतिरिक्त, भारत में प्रतिबंधित की जाएगी, के मामले में विशिष्ट कार्रवाई करने के प्रस्ताव के लिए सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया।

*****

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोकसभा)

चौथी बैठक

(02.12.2021)

समिति की बैठक कमरा संख्या 139, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 1500 बजे से 1530 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री अशोक महादेवराव नेते
5. श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव

सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि बैठक (i) 2 प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने; और (ii) 10 लंबित आश्वासनों को छोड़ने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों में अन्तर्विष्ट 10 ज्ञापनों पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। ।

2. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

3. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

4. तत्पश्चात, समिति ने संबंधित आश्वासनों को छोड़ने या नहीं छोड़ने के लिए उक्त 10 ज्ञापनों (ज्ञापन संख्या 02 से 11) को विचारार्थ लिया जिसमें 10 आश्वासन अन्तर्विष्ट थे। कुछ ज्ञापनों पर विचार करने के पश्चात, समिति ने माननीय सभापति को ज्ञापन पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात सभापति ने अनुबंध-I में दिए गए विवरण के अनुसार 08 आश्वासनों को छोड़ने और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के लिए अनुबंध-II* में दिए गए विवरण के अनुसार शेष 02 आश्वासनों पर आगे कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

*इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

अनुबंध-एक

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) द्वारा 02.12.2021 को हुई अपनी बैठक में छोड़े गए आश्वासनों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
1	2	ता.प्र.सं. 298 दिनांक 14.12.2011	कोयला	-	कोल इंडिया लिमिटेड के अस्पताल और औषधालय
2	3	अता.प्र.सं. 2248 दिनांक 08.03.2021	वित्त	राजस्व विभाग	अंतः राज्य स्वर्ण परिवहन के लिए ई-वे बिल
3*	4	अता.प्र.सं. 2396 दिनांक 28.03.2012	संचार	दूरसंचार विभाग	राष्ट्रीय ब्राडबैंड प्लान
4*	5	अता.प्र.सं. 402 दिनांक 19.07.2016	कृषि और कृषक कल्याण	कृषि और कृषक कल्याण विभाग	जीएम प्रौद्योगिकी करार दिशा-निर्देशों हेतु लाईसेंसिंग और फॉर्मेट
5	6	अता.प्र.सं. 5681 दिनांक 10.05.2012	रेल	-	रेल डिब्बा कारखाना
6	7	अता.प्र.सं. 133 दिनांक 27.11.2019 (श्री धर्मबीर सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	रेल	-	सिग्नलिंग प्रणाली का उन्नयन

*आश्वासनों संबंधी कार्यान्वयन प्रतिवेदन 01.12.2021 को सभा पटल पर रखा गया।

7	9	अता.प्र.सं. 2170 दिनांक 08.03.2021	वित्त	आर्थिक कार्य विभाग	करेन्सी प्रारूप में नवाचार
8	11	अता.प्र.सं. 2222 दिनांक 08.03.2021	वित्त	आर्थिक कार्य विभाग	बिटकॉइन के कारोबार पर प्रतिबंध

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सातवीं बैठक

(08.03.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1600 बजे तक समिति कमरा संख्या '3', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
3. श्री कौशलेन्द्र कुमार
4. श्री एम.के. राघवन
5. श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. श्री टी.एस. रंगराजन - निदेशक
3. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेव - अवर सचिव

XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित तीन (03) प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया:

(i) "रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" विषय के संबंध में प्रारुप प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)

(ii) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किए गए)' विषय के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा); और

(iii) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

2. समिति ने सभापति को उक्त प्रतिवेदनों को चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत करने हेतु भी प्राधिकृत किया।

XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।